

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक: 3345 / 144 आगरा : दिनांक : 25, जनवरी, 2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
नि0ख0-1(ता0ट्रि0) लो0नि0वि0
आगरा।

विषय : आगरा में अवन्तवाई चौराहे से रोहता नहर तक (आगरा ग्वालियर मार्ग का शहरी भाग) का लोक निर्माण विभाग द्वारा 06 लेन चौड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु 2.45 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति।

संदर्भ : इस कार्यालय का पत्रांक-2794/14-1 दिनांक 15.12.2017 एवं आपका पत्रांक-80/17सी0 दिनांक 10.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिनके द्वारा आपको मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के निस्तारण हेतु लिखा गया था परन्तु आप द्वारा उक्त के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा टी0टी0जैड0 क्षेत्र के अन्तर्गत वृक्षों के पातन हेतु निर्गत अनुमति का आदेश इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है।

अतः आप मा0 उच्चतम न्यायालय में रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-13381/1984 एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में आई0ए0 दाखिल कर मा0 उच्चतम न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही करें। ताकि प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्ति का निस्तारण हो सके।

भवदीय

(मनीष मित्तल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।

पत्रांक 3345 / दिनांकित

प्रतिलिपि वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, आगरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(मनीष मित्तल)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा।